

न्यायालय:-मधुसूदन जंघेल,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप. प्रक. क.-941 / 2014  
संस्थित दिनांक 16.10.2014  
फाइलिंग नं.-234503011862014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, परसवाड़ा  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----अभियोजन

// विरुद्ध //

मनोज मालाधरे पिता श्यामलाल उम्र-30 साल,  
निवासी देवरी थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट (म.प्र.)  
हाल मुकाम बीजाटोला थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----आरोपी

-----  
--:: निर्णय ::--  
( दिनांक 25/04/2018 को घोषित किया गया )

**01:-** उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 27.09.2014 को समय शाम 05:00 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बीजाटोला में फरियादी श्रीमती प्रेमलता मालाधरे के पति होते हुए फरियादी को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने, इस प्रकार धारा-498ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

**02:-** प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 21.12.2017 को आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को धारा-323 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया गया। धारा-498ए भा0दं0वि0 राजीनामा योग्य न होने से उक्त धारा में विचारण किया गया।

**03:-** अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि फरियादी प्रेमलता का विवाह आरोपी मनोज से वर्ष 2002 में हुआ था। घटना के 5-6 माह पूर्व से आरोपी परसवाड़ा में काम करने आ गया था तथा घटना के एक माह पूर्व

फरियादी उसके पास आई थी। दिनांक 26.09.2014 को फरियादी अपने मायके ग्राम कोसमी गई थी और दिनांक 27.09.2014 को जब लौटकर आई तो आरोपी मायके क्यों गई है कहकर हाथ-मुक्कों से मारपीट कर फरियादी को प्रताड़ित किया। घटना के उपरांत फरियादी ने पुलिस थाना परसवाड़ा में घटना की रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना परसवाड़ा में अपराध क्रमांक 142/14 अंतर्गत धारा-498ए, 323 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का मौका-नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**04:-** आरोपी ने अपने अभिवाक् में अपराध करना अस्वीकार किया है। साक्ष्य के दौरान आरोपी के विरुद्ध कोई विपरीत साक्ष्य न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।

**05:- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है:-**

1. क्या आरोपी ने दिनांक 27.09.2014 को समय शाम 05:00 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बीजाटोला में फरियादी श्रीमती प्रेमलता मालाधरे के पति होते हुए फरियादी को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया ?

**-:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::-**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01:-**

**06:-** प्रेमलता (अ.सा.01) ने बताया है कि वह आरोपी को जानती है। आरोपी मनोज उसका पति है। आरोपी मनोज से उसका विवाह वर्ष 2002 में हुआ था। विवाह पश्चात से वह वर्तमान तक आरोपी के साथ निवासरत् है और उसे उससे कोई शिकायत नहीं है। करीब तीन वर्ष पूर्व आरोपी के साथ उसका मौखिक विवाद हो गया था, जिसके बाद आवेश में उसने लोगों के कहने पर

उसके विरुद्ध परसवाड़ा थाने में शिकायत की थी, जहाँ पुलिस वालों ने कुछ दस्तावेजों पर उससे हस्ताक्षर करवाये थे, परंतु उसने दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी.01 तथा मौका-नक्शा प्रपी.02 पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाने में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसने उक्त बात बता दी थी। आरोपी उससे मारपीट नहीं करता। आरोपी द्वारा कभी उसे प्रताड़ित नहीं किया गया है।

**07:-** साक्षी प्रेमलता (अ.सा.01) ने पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 27.09.2014 को शाम 5-6 बजे उसके पति ने मायके जाने की बात पर उसे हाथ-मुक्कों से मारपीट की, जिससे सिर में दर्द हो रहा था, इससे भी इंकार किया है कि इसके पूर्व भी आरोपी ने उसे दूसरी बीवी लाने की बात कहकर हमेशा प्रताड़ित करता था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.03 का कथन देने से भी इंकार किया है तथा इससे इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक निवासरत है। आरोपी द्वारा उसके साथ मारपीट नहीं की जाती है।

**08-** इस प्रकार स्वयं प्रेमलता (अ.सा.01) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 27.09.2014 को शाम 5-6 बजे उसके पति ने मायके जाने की बात पर उसे हाथ-मुक्कों से मारपीट की, जिससे सिर में दर्द हो रहा था, इससे भी इंकार किया है कि इसके पूर्व भी आरोपी उसे दूसरी बीवी लाने की बात पर उसे हमेशा प्रताड़ित करता था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक निवासरत है और उसका उसके साथ राजीनामा हो गया है, किन्तु इससे इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है। फरियादी प्रेमलता द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लिये जाने एवं अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन ने अपने शेष अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया है। फलतः उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत सूरजमल बनाम स्टेट (देहली

एडमिनीस्ट्रेशन) ए.आई.आर. 1979 सु.को. 1408 एवं हीरालाल बनाम स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2010 (2) म.प्र. वी.नो. 79 म.प्र. अवलोकनीय है।

**09:—** उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 27.09.2014 को समय शाम 05:00 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बीजाटोला में फरियादी श्रीमती प्रेमलता मालाधरे के पति होते हुए फरियादी को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्वक व्यवहार किया। फलतः आरोपी को धारा-498ए भा.दं.वि. के दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

**10:—** आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**11:—** आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

**12:—** प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)